

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

-::आदेश::-

क्रमांक 442/दो-16-5/2024

नर्मदापुरम, दिनांक 29.09.2026

सुश्री स्वाति कौशल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड नर्मदापुरम का दिनांक 05.10.2026 से 13.10.2026 तक कुल 09 दिवस का अर्जित अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् न्यायिक अधिकारी के अर्जित अवकाश लेखे में 108 दिवस का स्वत्व शेष है।

- 1- उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।
- 2- अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी)(दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।
- 3- अवकाश अवधि में वेतनभत्ते उसी दर से देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के तत्काल पूर्व मिलते थे।
- 4- आवेदक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड नर्मदापुरम के पद पर पदस्थ रहतीं।

SC
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

पृ. क्र. 4399/दो-16-5/2024

नर्मदापुरम, दिनांक 29.09.2026

यथाआदेश प्रतिलिपि:-

01. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड नर्मदापुरम ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

29/9/26
जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम, (म.प्र.)